राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 85

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 3 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

पूर्व पत्नी रेहम ने उड़ाया पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का मजाक

>> 13

सरोकार

'आइसीयू में भर्ती' अस्पताल को दे दिया नवजीवन

इंदौर : इंदौर के सबसे बड़े महाराज यशवंत अस्पताल में तमाम उपकरण खराब होने का खामियाजा जनता भुगत रही थी। कुछ युवाओं ने खराब उपकरणों को सुधारने का जिम्मा उठाया और संभागायुक्त से मंजूरी लेकर दो माह में 99 लाख रुपये की लागत के 66 उपकरण ठीक करा दिए। (पेज-11)

जागरण विशेष

विस्थापित पंडितों को जोड़ रहा सामुदायिक रेडियो 'शारदा'

जम्मू : कश्मीर से विस्थापित लाखों पंडितों की सांस्कृतिक विरासत पीछे छूट गई थी, जिसे लुप्त होने से बचाने को सामुदायिक रेडियो 'शारदा' की स्थापना हुई। हाल ही इसे दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। (पेज-11)

आसमान में अभिनंदन

जेएनएन, नई दिल्ली : सोमवार को भारत के तिरंगे का आसमान में अभिनंदन हुआ। चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम' को यान के ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया है। अब लैंडर और चांद के बीच बस दो पड़ाव की दूरी बची है। वहीं, पाक का एफ-16 गिराकर सुर्खियों में आए विंग कमांडर अभिनंदन ने छह महीने में ही दोबारा मिग-21 विमान की कमान थाम ली।

चांद से दो कदम दूर 'विक्रम' विंग कमांडर फिर मिग-21 में

ऑर्बिटर से अलग हुआ लैंडर 'विक्रम'

भारत का चंद्रयान-2 मंजिल के बेहद करीब पहुंच गया है। सोमवार को सफलतापूर्वक यान के लैंडर 'विक्रम' को ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया। अब तीन और चार तारीख को लैंडर की कक्षा में दो बार बदलाव किया जाना है। इसके बाद छह व सात सितंबर की दरम्यानी रात डेढ़ से ढाई बजे के बीच लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया जाएगा। लैंडिंग के बाद रोवर भी लैंडर से अलग हो जाएगा। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश होगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने अपना यान चांद पर उतारा है।

वर्धमान ने धनोआ संग भरी उड़ान

अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को भारत की सीमा में दाखिल हुए पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था। इस दौरान उनका मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वह पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच गए थे। भारत के दबाव में तीन दिन के भीतर ही पाक ने उन्हें मुक्त कर दिया था। फिलहाल सभी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को परास्त करते हुए अभिनंदन ने छह महीने में ही खुद को उड़ान के काबिल बना लिया। उन्होंने पठानकेट एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ मिग-21 में उड़ान भरी।

संबंधित खबरें >> पेज 6

वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ अभिनंदन वर्धमान

जाधव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं

पहली बार ▶ पाक ने दी कुलभूषण को राजनयिक पहुंच, भारतीय उपउच्चायुक्त ने की मुलाकात

जाधव के स्वास्थ्य को लेकर भारत चिंतित, पाक सेना की भाषा बोलते रहे जाधव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव (49) से भारतीय राजनयिक की मुलाकात तो सोमवार को हो गई, लेकिन जाधव की जो स्थिति सामने आई है वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उपउच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया से मुलाकात के दौरान जाधव का रवैया कुछ वैसा ही रहा जैसा पिछले वर्ष पत्नी और मां से भेंट के दौरान रहा था। मुलाकात के दौरान जाधव एक तरह से वहीं बोल रहे थे जितना पाकिस्तानी सेना की तरफ से उन्हें सिखाया गया था। वह पूरी तरह पाकिस्तानी प्रभाव में दिखे। मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए कहा, वह बेहद दबाव में दिख रहे थे और पाक के झूठे दावों के बारे में ही बात कर रहे थे। वर्ष 2016 की शुरुआत में पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पहली बार जाधव किसी भारतीय से बंद कमरे में मिले हैं।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारत को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के आदेशानुसार जाधव को भारतीय राजनयिक से मिलने की सुविधा दी जाएगी। भारत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सोमवार दोपहर उपउच्चायुक्त अहलूवालिया को मुलाकात के लिए भेजा था। मुलाकात एक सुरक्षित जगह पर करीब दो घंटे तक चली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बाद में बताया कि, 'अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन यह साफ है कि जाधव काफी दबाव में थे। वह उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे जिनका पाक की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा था। आगे क्या करना है इसके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। उपउच्चायुक्त की रिपोर्ट के बाद ही भारत यह तय करेगा कि आइसीजे के फैसले का पूरी तरह पालन किया गया है या नहीं।' उन्होंने यह भी बताया कि इस भेंट के बारे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जाधव की माताजी को जानकारी दी है। भारत जाधव को न्याय दिलाने और उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

लगातार किया गया है मानसिक और शारीरिक शोषण : विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जाधव का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है जिससे उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। दिसंबर, 2017 में पाक ने जाधव को उनकी मां और पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। यह मुलाकात शीशे की दीवार के बीच करवाई गई थी। अपने परिवार के सामने भी जाधव रोबोट की तरह बोल रहे थे। वह अपनी तरफ से ही यह बता रहे थे कि किस तरह से वह भारत के लिए जासूसी करते रहे हैं और पाक में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आए थे।

पाक ने की इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग पेज>>3

इस्लामाबाद में सोमवार को कुलभूषण जाधव मामले को लेकर विदेश मंत्रालय में पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात के बाद प्रस्थान करते भारतीय उपउच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया। एपी

भारत ने ठुकरा दी थीं पाक की शर्तें

17 जुलाई, 2019 को आइसीजे के फैसले के बाद एक अगस्त, 2019 को पाक ने जाधव को कुछ शर्तों के साथ भारतीय राजनयिकों से मिलने का प्रस्ताव किया था, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया था। तब पाकिस्तान ने अपने एक राजनयिक की उपस्थिति में जाधव से मिलने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि भारत कहता रहा है कि नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव का ईरान में कारोबार था जहां से पाकिस्तान ने उनका अपहरण किया है।

मां-पत्नी से किया था आपत्तिजनक व्यवहार

मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान ने जैसा व्यवहार किया गया था, उसको लेकर भारत में काफी रोष व्यक्त किया गया था। इस मामले को लेकर भारतीय संसद में भी काफी हंगामा हुआ था।

दिग्विजय पर मप्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप

नईदुनिया, भोपाल

- राज्य के वन मंत्री ने सोनिया गांधी से की दिग्विजय की शिकायत
- पांच मंत्री समर्थन में उतरे, कहा-फ्रंटफुट पर खेलते हैं दिग्गी राजा

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार और पार्टी में आरोप-प्रत्यारोप के चलते भूचाल आ गया है। कमलनाथ सरकार में वन मंत्री उमंग सिंघार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी सिंघार के साथ आ गए। वहीं राज्य के पांच मंत्रियों ने दिग्विजय के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सरकार के मंत्रियों के आमने-सामने आने से सियासत गरमा गई है। पर्दे के पीछे दिग्विजय के सरकार चलाने की बात पर कमलनाथ बोले, जनता सब जानती है। उसे पता है कि कौन सरकार चला रहा है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने गत दिनों मंत्रियों को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने विभिन्न कार्यों की अनुंशसा को लेकर लिखे गए पत्रों पर की गई कार्रवाईयों की 31 अगस्त से पहले जानकारी मांगी। इसके बाद रविवार को सिंघार ने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि दिग्विजय ही परदे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें पत्र लिखने की क्या जरूरत है। इस बीच सूचना आई कि सिंघार ने सोनिया गांधी को शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें दिग्विजय पर कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है।

सिंघार ने कहा-उल्टे-सीधे धंधे कर रहे हैं दिग्विजय : सिंघार ने सोनिया को पत्र लिखने की पुष्टि करते हुए सोमवार को भी दिग्विजय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंह रेत खनन सहित कई उल्टे-सीधे धंधे कर रहे हैं।

शिवराज बोले, हस्तक्षेप करे कांग्रेस हाईकमान : कांग्रेस में मचे घमासान पर मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हाईकमान को हस्तक्षेप कर यह तय करना चाहिए कि सरकार कौन चलाए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि एक सरकार में कई मुख्यमंत्रियों के काम करने से प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है।

इन तर्कों के साथ मंत्री उतरे समर्थन में : सियासी बवाल के बीच जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा,दिग्गी राजा परदे के पीछे नहीं बल्कि फ्रंटफुट पर खेलते हैं। वे प्रदेश के दस साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता के हितों की बात करते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, सरकार के मुखिया कमलनाथ हैं। हम सभी उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं और सरकार चला रहे हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि दिग्विजय वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य हैं। वे मंत्रियों से पूछ सकते हैं कि उनके पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई। गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा, सरकार की बागडोर मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ में है। वे अनुभवी नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से निरंतर संवाद होता रहता है। कृषि मंत्री सचिन यादव बोले, वे जनता व कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। प्रदेशहित में पत्र लिखते हैं।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चिदंबरम को आंशिक राहत फिलहाल नहीं जाएंगे जेल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तेजी से घटनाक्रम बदले। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की ओर से राहत पाने की दलीलों का सीबीआइ ने जोरदार विरोध किया। बहरहाल चिदंबरम को उस समय राहत मिल गई जब कोर्ट ने कहा, उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

पाक की चार चौकियां तबाह, मारे गए कई सैनिक

राजौरी : पाक ने सोमवार को राजौरी और पुंछ जिले के छह सेक्टरों में भारी गोलाबारी कर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की। भारतीय जांबाजों ने इस कोशिश कर नाकाम कर दिया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में पाक की चार चौकियां तबाह कर दीं। कई फौजियों के भी मारे जाने की खबर है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

जुलाई में 2.1 परसेंट रही आठ मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर

नई दिल्ली : कोयला, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट के चलते आठ मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में मात्र 2.1 परसेंट रही। पिछले साल जुलाई में इन उद्योगों ने 7.3 परसेंट वृद्धि दर्ज की थी। ये आठ उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली। आइआइपी की बास्केट में इनका योगदान 40.27 परसेंट है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

जॉनसन ने दिए ब्रिटेन में मध्यावधि चुनाव के संकेत

लंदन : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को मंत्रियों की बैठक कर साफ संदेश दिया कि ब्रेक्जिट मसले पर संसद में सरकार की हार होती है तो वह मध्यावधि चुनाव कराने पर विचार कर सकते हैं। जॉनसन का यह रुख विपक्ष की बिना शर्त ब्रेक्जिट रोकने की मुहिम को देखते हुए सामने आया है। इस मुहिम को सत्ता पक्ष के भी कुछ सांसदों का समर्थन मिल रहा है।

ग्रेटर कैलाश-2 में घरेलू सहायक ने बुजुर्ग की हत्या की, शव को फ्रिज में ले जाकर दफनाया

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

ग्रेटर कैलाश-2 में बुजुर्ग मालिक (91) के व्यवहार से नाराज होकर घरेलू सहायक ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपित ने शनिवार शाम बुजुर्ग दंपती को चाय में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया। दोनों के बेहोश होने पर उसने बुजुर्ग कृष्ण खोसला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साथियों के साथ मिलकर उनके शव को फ्रिज में बंद किया और तिगड़ी में जाकर दफना दिया। फ्लैट में लूटपाट भी की। रविवार सुबह पत्नी के होश में आने पर वारदात की जानकारी मिली। सीआर पार्क थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घरेलू सहायक समेत पांच आरोपितों को उत्तर प्रदेश के कासगंज से दबोच लिया है।

एडिशनल डीसीपी साउथ परविंदर कुमार ने बताया कि उद्योग मंत्रालय से सेवानिवृत्त कृष्ण खोसला (91) पत्नी (90) के साथ एम-ब्लॉक स्थित फ्लैट में रहते थे। वह यहां दो साल से रह रहे थे। ग्रेटर कैलाश में एस-ब्लॉक में उनका मकान बन रहा है। करीब डेढ़ साल से संगम विहार में रहने वाला किशन (25) उनके यहां घरेलू सहायक था। किशन मूलरूप से बिहार का रहने वाला है। कृष्ण खोसला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे सुभाष ग्रेटर कैलाश में रहते हैं और उनका एलईडी का कारोबार है। छोटे बेटे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।

कृष्ण खोसला फाइल फोटो

किशन मालिक कृष्ण खोसला के व्यवहार से नाराज था। इसी के चलते उसने शनिवार शाम करीब पांच बजे उन्हें व उनकी पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने पर कृष्ण खोसला की गला दबाकर हत्या कर दी। देर शाम करीब आठ बजे किशन के चार दोस्त टेंपो लेकर वहां पहुंचे। इसके बाद कृष्ण खोसला के शव को फ्रिज में डालकर तिगड़ी ले गए, जहां पांच आरोपितों ने मिलकर उनके शव को दफना दिया। फ्रिज उतारते समय बिल्डिंग के गार्ड शमीम ने आरोपितों को टोका तो किशन ने फ्रिज खराब होने की बात कही। वह घरेलू सहायक को जानते थे, इसलिए उन्होंने जाने दिया। रविवार सुबह करीब आठ बजे कृष्ण खोसला की पत्नी को होश आया तो उन्होंने पति के अपहरण की सूचना पड़ोसियों व बेटे को फोन से दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी पड़ताल की। बताया गया है कि आरोपित फ्लैट से लाखों रुपये का माल लूटकर ले गए। तबीयत बिगड़ने के कारण बुजुर्ग की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

चिन्मयानंद पर आरोपों की जांच करेगी एसआइटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एलएलएम की छात्रा द्वारा भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसआइटी का नेतृत्व आइजी रैंक के अधिकारी करेंगे जबकि इसमें शामिल एसपी रैंक के अधिकारी उनका सहयोग करेंगे। एसआइटी लड़की के आरोपों और आशंकाओं के अलावा उसके पिता और भाजपा नेता के संस्थान द्वारा दर्ज कराई गई क्रास एफआइआर के आरोपों की भी जांच करेगी। दोनों मामलों में एसआइटी हाई कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की निगरानी के लिए एक पीठ गठित करने को कहा है।

ज्ञात हो, चिन्मयानंद के संस्थान एसएस लॉ कॉलेज शाहजहांपुर में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो जारी कर भाजपा उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद छात्रा गायब हो गई और बाद में राजस्थान में

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को आइजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष टीम गठित करने को कहा

मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लड़की को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल वह दिल्ली में शार्ट स्टे होम में पुलिस सुरक्षा में रह रही है और उसके माता-पिता भी दिल्ली लाए गए हैं।

सोमवार को जस्टिस आर भानुमति व एएस बोपन्ना की पीठ ने चैंबर में पीड़ित लड़की और माता-पिता से बात करने के बाद आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा,लड़की से बात की है। वह मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं प्रकट कर रहे हैं। कानून के मुताबिक, आरोपों की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य मुख्य सचिव को आइजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी गठित करने का आदेश दिया है। माता-पिता की ओर से जताई गई सुरक्षा की चिंता पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को शाहजहांपुर के एसपी को लड़की के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ लड़की की पढ़ाई के मुद्दे पर ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि लड़की अब उस संस्थान में नहीं पढ़ना चाहती है। उसका छोटा भाई भी उसी संस्थान में एलएलबी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और एडीशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह बरेली के एमजीपीआइयू विश्वविद्यालय में लड़की और उसके भाई का स्थानांतरण करने के बारे में पता करें और कोर्ट को बताएं। कोर्ट ने कहा है कि लड़की 12 सितंबर तक दिल्ली में ही रहेगी। कोर्ट बुधवार को मामले पर फिर सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने कहा है कि लड़की के माता-पिता अपने घर जा सकते हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें घर तक पहुंचाएगी। उन्हें चार सितंबर तक सुरक्षा मिली रहेगी उसके बाद हाई कोर्ट उनकी सुरक्षा पर विचार करेगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजने का आदेश दिया।

एनआरसी से नाखुश भाजपा जाएगी सुप्रीम कोर्ट

पुन :सत्यापन की मांग

खुलकर सामने आया भाजपा और एनआरसी चीफ कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के बीच विवाद, बिस्वा सरमा बोले, करेंगे चयनित आंकड़ों के पुन : सत्यापन की मांग

गुवाहाटी, आइएएनएस : असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी हो चुकी है, लेकिन भाजपा में केंद्रीय और राज्य स्तर पर यही मानना है इसमें गलतियों की पूरी गुंजाइश है। लिहाजा पार्टी ने चयनित आंकड़ों के पुनःसत्यापन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इससे भाजपा और एनआरसी के चीफ कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है।

पूर्वोत्तर में भाजपा का चेहरा माने जाने वाले असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बांग्लादेश से लगे जिलों के 20 फीसद और मुख्य क्षेत्र के 10 फीसद सेंपल डाटा के पुनःसत्यापन की मांग करेगी। यह मांग एनआरसी मसौदे के खिलाफ की जाएगी। एनआरसी के मसौदे ने भाजपा को आश्चर्य में डाल दिया था क्योंकि सघन आबादी वाले सीमावर्ती जिलों के ज्यादातर लोग सूची में शामिल थे। यह माना गया कि इनमें ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी थे।

पूर्वोत्तर के 'अमित शाह' कहे जाने वाले बिस्वा सरमा ने कहा था, 'मसौदा जारी होने के बाद ही हमने

हेमंत बिस्वा सरमा फाइल फोटो

एनआरसी के वर्तमान स्वरूप से उम्मीद छोड़ दी थी। जब कई वास्तविक भारतीयों को छोड़ दिया गया हो तो आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि यह दस्तावेज असम समाज के लिए रेड लैटर है।' असम भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने भी अंतिम एनआरसी सूची पर असंतोष व्यक्त किया है। शनिवार को जारी एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए करीब 19 लाख लोगों में ज्यादातर बंगाली हिंदू शरणार्थी हैं जो 1971 से पहले असम आ गए थे या ऐसे लोगों हैं जो पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

कानूनी उपाय शेष रहने तक किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक उसके पास सभी कानूनी विकल्प खत्म न हो गए हों। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि असम सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के जरिये एनआरसी से बाहर रह गए जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के प्रबंध भी किए हैं। उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ-नौ सितंबर को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की बैठक के लिए असम जा रहे हैं। इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों और प्रदेश भाजपा नेतृत्व के साथ अलग से बैठक करने की भी संभावना है।

एनआरसी पर कांग्रेस में अलग-अलग सुर

मैं काफी समय से कह रहा हूं कि एनआरसी रद्दी का कागज साबित होगा। मोदी (प्रधानमंत्री) ने कहा था कि तरुण गोगोई ने विदेशियों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। लेकिन अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के बजाय मोदी सही से एनआरसी तैयार नहीं करवा पाए। हम उन सभी भारतीयों के साथ हैं जो एनआरसी से बाहर हो गए हैं।

- तरुण गोगोई, कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम

अंतिम एनआरसी में हालांकि कई भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होने से रह गए हैं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम और भारत सरकार द्वारा तैयार ऐतिहासिक वैज्ञानिक दस्तावेज है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मील का पत्थर है।

- अब्दुल खालिक, बारपेटा से सांसद

घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं मुहम्मद शमी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी की परेशानी बढ़ गई है। कोलकाता की अलीपुर एसीजेएम कोर्ट ने सोमवार को घरेलू हिंसा के मामले में आरोपित शमी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही कहा कि वह 15 दिन में समर्पण करें वर्ना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शमी फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं। इस समय वहां दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है।

शमी की पत्नी हसीन जहां की ओर से दायर घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने शमी और उनके भाई हासिद अहमद के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। शमी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज है। उनके भाई पर भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज है। कोर्ट में शमी और हसीन जहां के तलाक का केस भी चल रहा है। बता दें शमी ने छह जून 2014 को कोलकाता की मॉडल हसीन जहां से शादी की थी। शमी 17 जुलाई 2015 को बेटी के पिता बने।

मुहम्मद शमी फाइल फोटो

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट ने 15 दिन में समर्पण करने को कहा

मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए थे : हसीन जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए थे। हसीन ने यह भी कहा था कि शमी के एक पाकिस्तानी लड़की से संबंध हैं, जो उन्हें पैसे देती है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोपों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शमी को बेगुनाह पाया। बेगुनाही साबित होने के बाद ही उन्हें भारतीय टीम के केंद्रीय अनुबंध में शामिल कर लिया गया था।